

1) क्या अतिरिक्त या अधिनिम्न के वन प्रागैदिक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य के किया गया है (हां/नहीं)

नहीं

(ii) यदि हां की गई कार्य अर्थात् अतिक्रमण में अंतर्बलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)

25 क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूर्क वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति इतिहासी एन कांथा की निमिल
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र क्षति = 8.730 हे०
क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। क्षेत्र क्षति (A.2.A) के खसरा नं० 46

(iii) क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।

(v) क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिब्यय : रु० 484,900.00

(vi) क्या क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।

26 वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित किया कलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।

27 स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों - वन विभाग में संलग्न

की जागी है।

स्थान:

तारीख:

07/9/2015

(रमेश चन्द)
हरी महावीर शासकीय मुद्रा
क्षेत्र वन प्रभाव
श्री